4-5-18 पत्रावली का लोक अदालत हेतु चयन किया गया, पक्षकारान को नोटिस जारी हो पत्रावली दिनांक 23-6-18 केम्प जालिमपुरा को पेश हो।

23-6-18 पत्रावली लोक अदालत केम्प जालिमपुरा में पेश हुई। मजमें आम में पत्रावली का आधोपान्त गहन मनन अवलोकन किया तथा पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात एवं अन्य साक्ष्यादि पर विधिक विचार किया। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 212 में वर्णित प्रावधानों के परिप्रेक्ष्य में प्रार्थना पत्र तथा प्रार्थना पत्र की विषयवस्तु का अध्ययन करनें पर यह पाया कि प्रार्थी न तो विवादित भूमि का अभिलिखित खातेदार है, और न ही उसका विवादित भूमि के किसी भाग या विशिष्ट ख0नं0 पर कब्जा प्रमाणित है।

प्रार्थी को अपरिमित क्षति होना प्रमाणित नहीं है। परन्तु विवादित भूमि को दौराने वाद अन्तरण/बैचान किया जाता है तो इससे अपरिमित क्षति भी उपयपक्ष को ही होना संभाव्य है। प्रकरण के अन्य तथ्य साक्ष्य की विषयवस्तु है जिनका विनिश्चय दावे में तय किया जावेगा।

प्रार्थी को या प्रतिपक्षीगण को विवादित आराजीयात् पर या उसके हिस्से पर क्या हक अख्त्यार हैं या होने चाहिये इसका विनिश्चय मूलवाद पर सम्यक् साक्ष्योपरान्त तथा सम्यक् विचारण उपरान्त विधि अनुसार मेरिट पर होना है न कि प्रार्थी के इस प्रार्थना पत्र के आधार पर, परन्तु दावे की मूल विषयवस्तु जो कि विवादित आराजी है, को सुरक्षित तथा संरक्षित बनाये रखने के मध्यनज़र और साथ ही पक्षकारान् के विधिक स्वत्व की रक्षार्थ एवं वाद बाहुल्यता को रोकने के कम में हम प्रार्थी के द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र को अंशतः स्वीकार किया जाना उचित पाते हैं।

अतः उपर्युक्त विवेचना अनुसार प्रार्थना पत्र प्रार्थी अंशतः स्वीकार किया जाता है, तथा आदेश दिये जाते है कि, उभयपक्ष विवादित भूमि वाके माल मौजा गोकुलपुरा तहसील दीगोद स्थित ख0नं0 364/594 रकबा 1.21 हे0, ख0नं0 389 रकबा 0.28 हे0, ख0नं0 372 रकबा 0.05 हे0, ग्राम बगतरी तहसील दीगोद स्थित ख0नं0 210 रकबा 0.11 हे0, ख0नं0

हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो किस हुक्म की तामील में जारी हुए
473/810 रकबा 0.50 हे0, ख0नं0 474 रकबा 0.65 हे0, ख0नं0 475 रकबा 1.67 हे0, ख0नं0 475/809 रकबा 0.23 हे0, ख0नं0 477 रकबा 0.26 हे0, ख0नं0 508 रकबा 0.46 हे0, ख0नं0 510 रकबा 0.70 हे0 कुल किता 8 रकबा 4.58 हे0 भूमि एवं ग्राम बगतरी तहसील दीगोद स्थित ख0नं0 470 रकबा 0.30 हे0 तथा ग्राम जालिमपुरा तहसील दीगोद स्थित ख0नं0 15 रकबा 1.61 हे0 भूमि के सम्बन्ध में मौके की यथास्थिति बनाये मूलवाद के निस्तारण पर्यन्त बनाये रखें। आदेश मजमें आम में सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर मूलवाद के साथ संलग्न रहे।	

Scanned by CamScanner